अधि. मुकदमा नम्बर 67/22

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/5/22	प्रार्थी / वादी / अपीलांट के वकील श्री डालू राम राजस्थान ने यह प्रार्थना पत्र / वाद / अपील धारा 111, 128 काश्तकारी अधिनियम / भू0–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोडेन्ट जरीये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27/5/22 को पेश हो । (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी	(प्रपत्र नोटिस) 9/5/22
27/5/22	पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यो में व्यस्त है। अतः इन्तजार होकर पत्रावली आइन्दा 6/6/22 को पेश हो । विप्र. [illegible] द्वारा [illegible]	
6/6/22	पत्रावली पेश हुई । विप्रार्थीगण अनुपस्थित आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है । अतः इन्तजार होकर पत्रावली आइन्दा 16/6/22 को पेश हो ।	
16/06/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। विप्रार्थीगण को [illegible] [illegible] नहीं बावजूद [illegible] [illegible] के विप्रार्थीगण अनुपस्थित। विप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। ~~[illegible] [illegible]~~ वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। आदेश अलग से लिखकर सुनाया गया। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार [illegible] जारी है। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 67 / 2022

प्रार्थीगण :–

1. गोरखा पुत्र जोरा
2. भाऊ पुत्र सोना
   जाति जाट निवासी मंगले की बेरी तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. ईसरा पुत्र घमण्डा
2. भीमा पुत्र घमण्डा
3. लाला पुत्र घमण्डा
4. नारणा पुत्र सालगा
5. रामा पुत्र सालगा
6. लिखमा पुत्र सालगा
7. रामाराम पुत्र राऊराम
8. रूगा पुत्र खेराज जाति जाट
9. खेताराम पुत्र गोरधनराम जाति प्रजापत
10. नरसीगाराम पुत्र वीरमाराम जाति मेगवाल
    निवासी मंगले की बेरी तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर
11. तहसीलदार नौखड़ा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 15/06/22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073–2076 (2078 से स्थायी) सरहद मौजा मंगले की बेरी के खेत खसरा नम्बर 23 रकबा 9.8581 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों की विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्की नेखमबन्दी करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मंगले की बेरी के खेत खसरा नम्बर 23 रकबा 9.8581 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 14/6/2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:46 IST
Reason: SelfAttested